न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्टरीवा

जिलारीवा म०प्र०

R/40061/III/2014

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2014

795
17-11.14

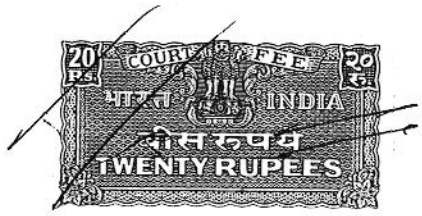

RS-20/-

गोकिरण सिंह तनय रामस्वरूप सिंह उम्र 68 वर्ष पेशा खेती व सेवा निवृत्त कर्मचारी निवासीग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ---------- ---------- आवेदक

विरुद्ध

पुरुषोत्तम सिंह उम्र 65 वर्ष ।

2- कुशल सिंह उम्र 62 वर्ष । दोनों के पिता रामजियावन सिंह पेशा खेती निवासीग्राम बीरखाम, तहसील सेमरिया, जिलारीवाम०प्र०

---------- अनावेदकगण

श्री अमित कुमार मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 17-11-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3564
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्रेषित
26-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थनापत्र निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तह० साहब सेमरिया दिनांक 26-7-14पारित राजस्व प्रकरण क्रमांक235/अ6/2013-14 बाबत तरमीम नक्शा भूमि नं० 691/1 रकबा०-0.12ए० स्थित ग्राम बीरखाम, तह० सेमरिया, जिलारीवा अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन1959ईस्वी।

मान्यवर,

प्रार्थनापत्र निगरानीकेआधार निम्नलिखित हैं:-

1- यहकि नायब तहसीलदार साहब सेमरिया का आदेश दिनांक 26-7-14 विधि, प्रक्रिया एवम उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि भूमि खसरा नं० 691 का कुलक्षेत्रफल रकबा०-0.12ए० यानी

-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R4006/तीन/2014 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश गोकरण सिंह/पुरूषोत्तम सिंह	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह उपस्थित । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया, एवं प्रकरण में निगरानी मेमों के संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2014 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि पूर्व में किया गया नक्शा तरमीम विधि के अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त करते हुए मौके में कब्जे के अनुसार एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम प्रतिवेदन दिनांक 8–7–13 के अनुसार नक्शा तरमीम करने का आदेश दिया गया है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि यदि एक बार पूर्व में नक्शा तरमीम हो चुका है तब उसे संशोधित कर पुनः उसी सर्वे कमांक का नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं है। नक्शा संशोधित करनें का अधिकार संहिता की धारा 107 (5) में कलेक्टर को है। इस प्रकार नायब तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.7.14 से यह तो स्पष्ट है कि पूर्व में नक्शा तरमीम हुआ है जिसे निरस्त कर पुनः नक्शा तरमीम का आक्षेपित आदेश दिनांक 26.7.14 जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। नायब तहसीलदार को चाहिए था कि वे यदि पूर्व का नक्शा तरमीम त्रुटिपूर्ण था तो उसमें मौके की स्थिति के अनुसार संशोधन कराये जाने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर उसे निरस्त कराते या उसमें संशोधन कराते। नायब तहसीलदार को स्वयं पूर्व में की गयी नक्शा तरमीम को संशोधित कर या निरस्त कर पूर्व मे तरमीम शुदा भूमि का नक्शा पुनः संशोधित तरमीम करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश 26.07.14 अधिकारिता विहीन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष अपने–अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि का नक्शा संशोधन/तरमीम कराने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दांखिल रिकार्ड हो। सदस्य	